# न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

| | | |
|---|---|---|
| 0 न0<br>7/22 | तारीख दायरा<br>09.05.2022 | तारीख फैसला<br>18.12.2022 |

पीठासीन अधिकारी – श्रीमति हरबिन्दर डी0 सिंह आर.ए.एस.

अशोक कुमार आत्मज जोधराज जाति धाकड निवासी ग्राम खेरूला तह0 दीगोद

(वादी)

बनाम

1. जोधराज पुत्र रामेश्वर धाकड निवासी ग्राम खेरूला तह0 दीगोद
2. हेमन्त कुमार पुत्र जोधराज जाति धाकड निवासी ग्राम खेरूला तह0 दीगोद
3. लक्ष्मीबाई पुत्री जोधराज जाति धाकड निवासी ग्राम खेरूला तह0 दीगोद
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :– हरिशंकर मेघवाल

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट बाबत खातेदारी घोषणा एवं विभाजन

## –: निर्णय :–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम खेरूला तह0 दीगोद जिला कोटा के खाता सख्या 72 नया पुराना 69 में ख0न0 159 रकबा 0.77, 160 रकबा 0.51, 254 रकबा 0.29, 307 रकबा 0.85, 345 रकबा 0.23, 347 रकबा 0.78, 471 रकबा 0.29, 508 रकबा 0.15, 85 रकबा 0.77 कुल किता 9 रकबा 4.64 है0 भूमि प्रतिवादी कम 1 के खाते में राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। वादी प्रतिवादी नम्बर 1 का पुत्र व वारिस है। इस कारण उक्त भूमि में प्रतिवादी न0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी न0 2,3 का भी बराबर का हिस्सा है। उक्त भूमि को वादी व प्रतिवादी न0 1,2,3 शामलाती रूप से काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि उपरोक्त भूमि वादी की पुश्तैनी भूमि है तथा उपरोक्त भूमि वादी की पुश्तैनी भूमि है तथा उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 के साथ वादी व प्रतिवादी न0 2,3 का बराबर–बराबर हिस्सा है उपरोक्त भूमि को वादी काश्त करता चाला आ रहा है। इस कारण प्रतिवादी नम्बर 1 के साथ वादी व प्रतिवादी न0 2,3 को बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 के साथ सहखातेदार अंकित किया जाना आवश्यक है।

यह कि वादी ने उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी न0 2,3 का नाम अंकित कराने को प्रतिवादी न0 1 को कहा तो प्रतिवादी न01 ने वादी व प्रतिवादी न0 2,3 का नाम अपने साथ दर्ज कराने से मना कर दिया है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। जिस हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

...द पेश कर वादी द्वारा निवेदन किया है कि वाद के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित ...जावे कि ग्राम खैरूला कि उक्त भूमि कुल किता 9 रकबा 4.64 है0 भूमि में प्रतिवादी न0 1 के साथ ...दी व प्रतिवादी न0 2,3 को 1/4, 1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी न0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी न0 2,3 का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे।

वादीगण की और से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है :-

3. नकल जमाबन्दी संवत् 2075-2078 ग्राम खेरूला तह0 दीगोद
4. नकल नक्शा, गिरदावरी ग्राम खेरूला तह0 दीगोद
5. नकल आधार

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीगण की और से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत जवाब दावा सहमति परक प्रस्तुत कर विशेष कथन निम्न प्रकार किया है:- यह कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पूर्ण रूप से स्वीकार है। जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी नम्बर 1 के साथ वादी व प्रतिवादी नम्बर 2,3 का नाम दर्ज किये जाने व सहखातेदार घोषित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

वाद में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपसी सहमति वादी का वाद स्वीकार डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की और से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं आपसी सहमति से प्रस्तुत जवाब दावा का गहन अध्ययन व मनन किया गया। तहसीलदार दीगोद से प्रकरण में खातेदार जोधराज पुत्र रामेश्वर जाति धाकड के वारिसान की जॉच रिपोर्ट तलब की गयी जो शामिल पत्रावली है। वाद उभय पक्ष की बहस एवं सहमति परक प्रस्तुत जवाब दावा एवं तहसीलदार दीगोद से प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया किये जाने योग्य है । अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम खेरूला के खाता सख्या 72 नया पुराना 69 में ख0न0 159 रकबा 0.77, 160 रकबा 0.51, 254 रकबा 0.29, 307 रकबा 0.85, 345 रकबा 0.23, 347 रकबा 0.78, 471 रकबा 0.29, 508 रकबा 0.15, 85 रकबा 0.77 कुल किता 9 रकबा 4.64 है0 भूमि में प्रतिवादी न0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी न0 2,3 को 1/4, 1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी न0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी न0 2,3 का बतौर खातेदार दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

मुताबिक निर्णय अनुसार उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाये तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

Scanned with OKEN Scanner